Published in Financial Express, Delhi & Mumbai Edition,

Dated 30/05/2017

BENARES HOTELS LIMITED

Corporate Identity Number: L55101UP1971PLC003480

Registered Office: Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002 **Tel No.**0542-6660001

Email ID : investorrelations@tajhotels.com **Website:** www.benareshotelslimited.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of Benares Hotels Company Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority in the prescribed manner.

Adhering to the requirements set out in the Rules, individual communication to the concerned shareholders is being sent at their latest available addresses whose shares are required to be transferred to demat account of IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. Further, the Company has uploaded on its website www.benareshotelslimited.com, full details of such shareholders and their shares which are liable for transfer to demat account of IEPF Authority.

Accordingly, the shareholders are requested to immediately claim the unpaid/unclaimed dividend amount due and respond at the earliest to avoid such shares being transferred to demat account of IEPF Authority.

In case of shareholders holding shares in physical form and such shares are liable to be transferred to IEPF, please note that duplicate share certificate(s) will be issued for the purpose of transfer of shares to the IEPF suspense account and upon issue of such duplicate share certificate(s) the original share certificate(s) which is/ are registered in your name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable as per the Rules. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to demat account of IEPF Authority pursuant to the said Rules.

In case of shareholders holding shares in Demat form, the Company will inform the respective Depository Participants by way of Corporate Action and transfer them to Demat account of the IEPF authority.

Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority by making an application in Form IEPF 5, as prescribed under the Rules and available on the IEPF website www.iepf.gov.in.

In case the Company does not receive any response from the concerned shareholder(s), the Company shall initiate necessary action to transfer such shares to the demat account of IEPF Authority in the prescribed manner.

Please feel free to contact the Company at our registered office address in case of any queries.

For Benares Hotels Limited

Delhi, May 30, 2017

Registered Office:

Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002

VANIKA MAHAJAN

Company Secretary

Published in Hindustan (Varanasi) Edition dated 30.05.2017.

05 • वाराणसी • मंगलवार • 30 मई 2017 हिन्दुस्तान

बनारस होटेल्स लिमिटेड

कॉरपोरेट पहचान संख्या : एल55101यूपी1971पीएलसी003480
पंजीकृत कार्यालय : नदेसर पैलेस कंपाउंड, वाराणसी - 221002 टेली. नं. : 0542-6660001
ईमेल आईडी :investorrelations@tajhotels.com वेबसाइट : www.benareshotelslimited.com

सदस्यों को नोटिस

बनारस होटेल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों (अधिनियम) और उनके साथ पढ़े जाने पर निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण तथा धन-वापसी) नियम 2016 तथा उनके समय समय पर लागू किन्हीं भी वैधानिक रूपांतरणों अथवा पुनराधिनियमनों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन शेयरों के लिए 7 क्रमिक वर्षों के लाभांश का दावा किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में निर्धारित ढंग से अंतरित कर दें।

उपरोक्त नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए कंपनी संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयरों को उपरोक्त नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना आवश्यक है, उनके नवीनतम उपलब्ध पतों पर व्यक्तिगत संदेश भी भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण किए जाने के अधीन शेयरों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.benareshotelslimited.com पर अपलोड कर दिए हैं।

इसी के अनुरूप, शेयरधारकों से निवेदन किया जाता है कि वे बिना चुकायी/बिना दावा की गयी देय लाभांश राशि का तत्काल दावा करें और शीघ्रतिशीघ्र प्रत्युत्तर दें ताकि ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किये जाने से बचा जा सके।

यदि शेयरधारकों के पास ये शेयर भौतिक रूप में हों और ऐसे शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के अधीन हों, तो ऐसी स्थिति में कृपया ध्यान दें कि इन शेयरों का आईईपीएफ के ससंस खाते में अंतरण करने के उद्देश्य से शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) की नकल जारी की जायेगी और शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) की ऐसी नकल जारी किये जाने के उपरांत मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों), जो आपके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे और उन्हें नियमों के अनुसार अ-परक्राम्य मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शेयरधारक कृपया इस पर भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरणों को शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में पर्याप्त नोटिस समझा जाना चाहिए और इसी रूप में माना जाना जायेगा।

यदि शेयरधारकों के पास ये शेयर डीमैट रूप में हों, तो उस स्थिति में कंपनी कॉरपोरेट कार्यवाही के रूप में संबंधित डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट को सूचित करेगी और उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

शेयरधारक ध्यान देना चाहेंगे कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये गये बिना चुकाये/बिना दावा किये गये लाभांश तथा शेयर दोनों के लिए, इन शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभों (यदि कोई हों) सहित, उनके द्वारा नियमों के अंतर्गत निर्धारित तथा आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रपत्र आईईपीएफ 5 में आवेदन देकर दावा किया जा सकता है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारक(कों) से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के लिए निर्धारित ढंग से आवश्यक कार्यवाही आरंभ करेगी।

किसी भी प्रश्न अथवा जिज्ञासा के लिए हमारे पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी से कृपया सर्वथा निसंकोच संपर्क करें।

दिल्ली, 30 मई, 2017
पंजीकृत कार्यालय :
नदेसर पैलेस कंपाउंड, वाराणसी - 221002

बनारस होटेल्स लिमिटेड के लिए
वन्तिका महाजन
कंपनी सचिव